

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 46/2020

अनवान :

1. पवन कुमार पुत्र बंशीलाल जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. शंकरलाल पुत्र बंशीलाल जाति जाट नाबालिग जरिये वादगित्र भाई पवन कुमार पुत्र बंशीलाल निवासी कलाना तहसील भादरा।

:—वादीगण

वनाम

1. बंशीलाल } पिसरान हेतराम जाति जाट
2. सतवीर } निवासी कलाना तहसील भादरा
3. विद्या पत्नी बलराज सिंह पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी हिन्दवाण तहसील व जिला हिसार।
4. मोहित पुत्र बंशीलाल जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
6. सब रजिस्ट्रार भादरा तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री महेन्द्र जागिड़ एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामजस गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा कलाना के खाता सं० 291/405 के ख०सं० 531 की 5.9960है० वारानी, ख०सं० 855 की 0.0780है० गै०गु० ढाणी, ख०सं० 856 की 3.8960है० वारानी, ख०सं० 859 की 7.4130है० वारानी कुल खसरा 4 की कुल 17.3810है० में प्रतिवादी बंशीलाल, सतवीर की 6/49 व विद्या की 1/49 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता सं० 282/253 के ख०सं० 1399/819 की 4.3260है० वारानी कुल खसरा 1 की 4.3260है० जिसमें प्रतिवादी बंशीलाल व सतवीर संयुक्त रूप से 0.485है० व विद्या पुत्री हेतराम 0.1545है० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता सं० 283/254 के ख०सं० 458 की 3.9220है० वारानी, ख०सं० 459 की 3.8700है० वारानी, ख०सं० 530 की 5.9710है० वारानी, ख०सं० 967 की 2.2770है० वारानी, ख०सं० 968 की 3.8580है० वारानी कुल खसरा 5 की कुल 19.8980है० में प्रतिवादी बंशीलाल व सतवीर संयुक्त रूप से 60 हिस्सा व विद्या पुत्री हेतराम को 10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त तीनों खातों की वादभूमि में प्रतिवादी सं० 2 सतवीर को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 1 बंशीलाल प्रतिवादी सं० 4 मोहित वादी सं० 1 पवन कुमार वादी सं० 2 शंकरलाल प्रत्येक को 1/8-1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शकुन्तला चौधरी)  
(फास्ट ट्रैक) भादरा  
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़